अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 8/2016-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा0का0नि0.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम,1944 (1944 का 1) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 8/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड (3) उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं.138(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(क) सारणी में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)
"3	(i) किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल या इसके पश्चात् बनाए गए छह करोड़ रुपए से अनधिक कुल मूल्य तक पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न, किन्तु हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम जटित रजत आभूषण की वस्तुऐं सम्मिलित हैं, गृह उपभोग के लिए आभूषण की पहली निकासी पहली अनुसूची में उस पर विनिर्दिष्ट संपूर्ण उत्पाद शुल्क से: परंतु 1 मार्च, 2016 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, छूट पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न, किन्तु हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम जटित रजत आभूषण की वस्तुऐं सम्मिलित हैं, गृह उपभोग के लिए आभूषण की पहली निकासी को पचास लाख रुपए से अनधिक कुल मूल्य तक लागू होगी	शून्य।";

(ख) पैरा 2 में ,--

(i) उपपैरा (iii) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न, किन्तु हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम जटित रजत आभूषण की वस्तुऐं सम्मिलित हैं, आभूषण की वस्तुओं का विनिर्माता गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए इन मालों के विनिर्माण में उपयुक्त निवेशों पर संदत्त, उक्त नियम के नियम 3 या नियम 11 के अधीन निवेशों पर शुल्क के प्रत्यय का फायदा नहीं पाएगा उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में यथापरिकलित जिसकी पहली निकासी का कुल मूल्य छह करोड़ रुपए से अधिक नहीं है :

परंतु यह और कि इस पैरा में अंतर्विष्ट कोई बात, ब्रांड नाम या अन्य व्यक्ति के व्यापार नाम वाले विनिर्दिष्ट मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त निवेशों को लागू होगी जो पैरा 4 के निबंधनानुसार इस छूट के पाने के अपात्र हैं;";

(ii) उपपैरा (iv) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न, किन्तु हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम जटित रजत आभूषण की वस्तुऐं सम्मिलित हैं, आभूषण की वस्तुओं का विनिर्माता पूर्वोक्त निकासी पर शुल्क यदि कोई है के संदाय के लिए पूंजी माल पर संदत्त, उक्त नियम के नियम 3 या नियम 11 के अधीन पूंजी माल पर प्रत्यय का भी उपयोग नहीं करता, जिसका उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में यथा परिकलित जिसकी पहली निकासी का कुल मूल्य छह करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;";

(iii) उपपैरा (vii) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु एक या अधिक कारखाने या उत्पाद या विनिर्माण के परिसर से या एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा कारखाने या उत्पादन या विनिर्माण के परिसर से पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले रजत आभूषण की वस्तुओं से भिन्न, किन्तु हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम जटित रजत आभूषण की वस्तुऐं सम्मिलित हैं, आभूषण की वस्तुओं का किसी विनिर्माता द्वारा गृह उपभोग के लिए सभी उत्पाद शुल्क्य मालों के निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में बारह करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;";

(ग) पैरा 3 में, "किसी वित्तीय वर्ष में" से आरंभ होने वाले और "हिसाब में लिया जाएगा, अर्थात्:--" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:--

"किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या इसके पश्चात्, उक्त सारणी के, यथास्थिति, क्रम संख्या 1 के सामने बनाए गए एक सौ पचास लाख रुपए से अनधिक कुल मूल्य तक या क्रम संख्या 3 के सामने छह करोड़ रुपए से अनधिक कुल मूल्य तक पहली

निकासी अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित निकासियां हिसाब में नहीं ली जाएंगी, अर्थात्:--";

(घ) पैरा 4ख के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"4ग. पूववर्ती पैराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्याय 61, 62, 63 (6305, 6309 00 00, 6310 के अधीन आने वाले लैमिनेटेड जूट थैलों के सिवाए) के अधीन आने वाले ब्रांड नाम वाले माल या किसी ब्रांड नाम के अधीन विक्रीत और 1000 रुपए या इससे अधिक खुदरा कीमत वाले मालों की बाबत छूट वित्तीय वर्ष 2015-16 के शीर्ष भाग के लिए बारह लाख पचास हजार रुपए तक निर्बंधित होगा ।";

(ङ) स्पष्टीकरण में खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(छ) "गृह उपभोग के लिए निकासी" जहां कहीं से इस अधिसूचना में निर्दिष्ट है, में भूटान को निर्यात के लिए निकासी सम्मिलित होगा;"।

[फा.सं0 334/8/2016-टीआरयू]

(के.कालिमुत्तू)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं. 8/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा सा.का.नि.138(अ), तारीख 1 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 15/2012-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा सा.का.नि. 166(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधन किया गया ।